न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1691–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.5.2003 पारित व्दारा – अपर आयुक्त,चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 82/2002–03 अपील

शिवनाथ सिंह पुत्र हरीसिंह
ग्राम चन्दरपुरा तहसील भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1– रामप्रकाश सिंह 2– जन्डेल सिंह
दोनों पुत्रगण स्व. रामनाथ सिंह
3– श्रीमती कलावती पत्नि स्व.रामनाथ सिंह
तीनों निवासी चन्दरपुरा तहसील भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री ओ0पी0शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर.डी.शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 5–11.–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 81/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.5.2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार भिण्ड के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 178 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि सर्वे क्रमांक 807 रकबा 0.19 है. एंव 815 रकबा 1.12 है. के बटवारे की मांग की।

तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 6/1988-89 अ 27 दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 6.12.2001 से बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष प्रथम अपील क्रमांक 30/01-02 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 8-8-02 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 6-12-01 निरस्त किया तथा स्वस्तर से उभय पक्ष के बीच बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वित्तीय अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 81/02-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-5-03 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 8-8-02 निरस्त किया गया तथा तहसीलदार भिण्ड के आदेश दिनांक 6.12.2001 को यथावत् रखा गया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग ने आवेदक पर सूचना पत्र का निर्वहन नहीं कराया है और उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि आवेदक को सूचना दी गई, किन्तु वह हाजिर नहीं हुआ, दुवारा सूचना चस्पीदगी से कराई गई, फिर भी वह हाजिर नहीं हुआ उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही विधि की प्रकिया को अपनाकर की गई है।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि

आवेदक को पेशी 13.5.03 नियत कर सूचना पत्र जारी किया गया है एंव सूचना पत्र के नीचे टीप अंकित की गई कि न लेने पर व न मिलने पर तामील चस्पा से कराई जावे, इसी सूचना पत्र के पीठ पृष्ठ पर तामील कुनिन्दा ने दो साक्षीगण के हस्ताक्षर कराकर सूचना पत्र वापिस किया है, किन्तु सूचना पत्र कहां चस्पा किया गया अथवा आवेदक मिला या नहीं - कोई टीप अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि आवेदक पर सूचना पत्र का निर्वहन सम्यक तरीके से नहीं हुआ है।

5/ तहसीलदार भिण्ड व्दारा दिये गये बटवारा आदेश दिनांक 6-12-01 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने भूमि सर्वे क्रमांक 807 रकबा 0.19 है. एंव 815 रकबा 1.12 है. का बटवारा उभय पक्ष के बीच इस प्रकार किया है -

1. रामप्रकाश	815	रकबा 0.38
2. मु. कलावती	815 मिन	रकबा0.054
	807 मिन	रकबा 0.06
3. शिवनाथ	815 मिन	रकबा0.069
	807 मिन	रकबा 0.13

परिलक्षित है कि बटवारा असमान है एंव पटवारी व्दारा तैयार फर्द अनुसार नहीं है फर्द का प्रकाशन भी नहीं किया गया है अर्थात संहिता की धारा 178 में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और इसी बटवारा आदेश को अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने स्थिर रखने की त्रृटि की है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा प्रकरण क्रमांक 30/01-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-8-02 से किये गये बटवारे का प्रश्न है - अनुविभागीय अधिकारी ने शिवनाथसिंह को सर्वे क्रमांक 815 में पश्चिम दिशा में 0.82 हैक्टर भूमि तथा मु. कलावती एंव शिवनाथ को सर्वे नंबर 815 में रकबा 0.30 पूर्व की तरफ तथा सर्वे नंबर 807 रकबा 0.19 है. का संपूर्ण रकवा

दिया है जिससे परिलक्षित है कि उनके व्दारा एक पक्ष को लाभ देने का प्रयास किया गया है जबकि दूसरे पक्ष की सहमति/असहमति का ध्यान नहीं रखा गया है,जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश त्रृटिपूर्ण पाये जाने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/1988-89 अ 27 में पारित आदेश दिनांक 6.12.2001 , अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा अपील क्रमांक 30/01-02 में पारित आदेश दिनांक 8-8-02 तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 81/02-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-5-03 परस्पर अपूरक एंव त्रृटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार भिण्ड की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की सहमति के आधार पर तथा मौके पर पूर्व में हुये पारिवारिक वटवारे अनुसार कब्जा के मान से पुनः फर्द तैयार करायें तथा संहिता की धारा 178 में बने नियमों का पालन करते हुये पुनः बटवारा आदेश पारित करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर